**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3998**

**उत्तर देने की तारीख : 19.12.2024**

**कौशांबी में एमएसएमई उद्योग**

**3998. श्री पुष्पेंद्र सरोज :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कौशांबी जिले में एमएसएमई उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) सरकार द्वारा स्टार्टअप्स और लघु एवं सूक्ष्म कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए दी गई ऋण सब्सिडी का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय किसी भी राज्य/जिला में एमएसएमई उद्योगों की स्थापना नहीं करता है। केंद्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का सहयोग करती है।

(ख) : सरकार ने कंपनियों सहित स्टार्टअप एवं सूक्ष्म और लघु एमएसएमई के संवर्धन के लिए ऋण सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इसमें अन्य योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पीएम विश्वकर्मा (पीएमवी), पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना आदि योजनाएं शामिल हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है।

(i) पीएमईजीपी के तहत गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 15% से 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी शहरी क्षेत्रों में 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% है। महिलाओं सहित, विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।

(ii) पीएमवी के अंतर्गत, लक्षित लाभार्थियों को कोलेटरल मुक्त "उद्यम विकास ऋण" के रूप में 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिसमें लाभार्थी 1 लाख रुपए तक की पहली ऋण किश्त का लाभ उठा सकते हैं। इसे पूरी तरह से चुकाने पर, लाभार्थी 2 लाख रुपए तक के दूसरे किश्त के ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं। ऋण 5% की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता हैं। भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक ब्याज सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, एसआईएसएफएस स्टार्टअप को उनके कारोबार चक्र में विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करता है। स्टार्टअप को निम्नलिखित के लिए प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है:

क. अवधारणा के प्रमाण, या प्रोटोटाइप विकास, या उत्पाद परीक्षणों के सत्यापन के लिए 20 लाख रुपये तक का अनुदान।

ख. बाजार में प्रवेश, व्यावसायीकरण, या परिवर्तनीय डिबेंचर या ऋण या ऋण-लिंक्ड उपकरणों के माध्यम से विस्तार के लिए 50 लाख रुपये तक का निवेश।

*****